| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| [illegible] | वकील वादी एवं शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया था कि इसी मुकदमे के संबंध में वादी अन्य दो इंतकाल सं० २११ व २१८ की शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय में लंबित है तथा उन्हें एक साथ निस्तारित की जाने की प्रार्थना की। अतः इस पत्रावली के साथ-साथ पत्रावली सं० 07/18 भूपराम प्र० स्टेट तथा 11/18. रामकुमार बनाम स्टेट को संलग्न किया जाता है। तीनों पत्रावलियों को अवलोकन कर तीनों पत्रावलियों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सबूत आदि के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात बैनामा - दानपत्र, इंतकाल व खतौनी तथा जवाब स्टेट का गहन अवलोकन व अध्ययन करने पर तथा बहस पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि पर आज इंतकाल दर्ज होने के कारण लिपिकीय त्रुटि अथवा दोषदाव के कारण इंतकाल दर्ज करने में चूक हुई है अतः बैनामों व दानपत्र को द्वारा इंतकाल किये जावे।<br>(संदीप कुमार)<br>उप खण्ड अधिकारी (न्यायिक)<br>रायसिंहनगर | |

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम, हुक्म की ... में जारी |
| --- | --- | --- |
| | के खातेदारों का नाम निम्नानुसार जमाबन्दी से हटाने व प्रार्थीगण पदम कुमार, भूपराम व रामकुमार को चक 4 MSD के खाता सं. 21 पं.नं. 152/352 मु.नं. 32 के किला नं. 11 की 0.253 हैक्ट कमाण्ड भूमि का 1/3 - 1/3 बटिन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर को दिये जाते है। इस प्रकरण में दिये गये शुद्धि आदेश की प्रति इसी भूमि से संबंधित दोनों अन्य पत्रावलियों प्रकरण सं. 9/18 भूपराम बनाम स्टेट व 11/18, रामकुमार बनाम स्टेट में प्रति संलग्न की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को लिखा जावे। तीनो पत्रावलियां फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner